

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोडा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail:eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक ९०५ / 50 सी०

दिनांक २५ जून 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग, नैनीताल।

विषय:

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंर्तगत पूनागढ—नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.547 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं0 15502/2015)

संदर्भ:-

ऑनलाईन ईं0डी०एंस० दिनॉक 16.03.2019

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपित्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा

रहा है।

Objection	. निराकरण
1-Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal[Online para-A-1(iii) of part-I]. It should give comprehensive detail of the project brief.	परियोजना का संक्षिप्त विवरण para-A-1(iii) of part- । में अंकित कर लिया गया है।
2-Instead of justification for locating the project in forest land at para D in part I, only benefit of road is mentioned. Please upload justification with C/S by DFO.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मॉग का औचित्य para D in part I में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के हस्ताक्षरोपरान्त में अपलोड कर लिया गया है।
3-Area mentioned in village wise breakup at B-2.3 and component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I. pleade rectify accordingly.	ऑनलाईन पार्ट। में village wise breakup at B-2.3 एवं component wise breakup at B-2.4 में क्षेत्रफल ठीक कर लिया गया है।
4-Some other documents uploaded in the place of justification. Please uploaded justification authenticated by DFO at section D in Form A, part I.	पार्ट । के बिन्दु सं0 D में सही प्रपत्र अपलोड कर लिया गया है।
5-Google map is uploaded in the place of alternate alignment detail at section D(ii) in Form A, Part I.	पार्ट । के बिन्दु संo D(ii) में सही प्रपत्र अपलोड कर लिया गया है।
6-FRA certificate issued by DC "not applicable" has been mentioned against bullet-1 and bullet-2 in the FRA certificate submitted in FORM-1 which is not correct and revised certificate is required to submitted and uploaded.	FRA पार्ट । के बिन्दु सं0 K में अपलोड कर लिया गया है।
7- Ownership proof is not uploaded at section L(iv-g) in Form A, Part I.	Ownership proof पार्ट । के बिन्दु सं0 L(iv-g) में अपलोड कर लिया गया है।
8-Some other document has been uploaded in place of Mou at section L(iv-h) in Form A, part I.	Mou at section L(iv-h) पार्ट ।) में अपलोड कर लिया गया है।

(2)
9- The certificated of aeriad distance of the project area is not found uploaded in Form A, part I.	प्रमाण पत्र अतिरिक्त सूचनाओं में अपलोड कर लिया गया है।
10- CA scheme and Ca suitability is not uploaded as additional information in Form A, Part II.	प्रमाण पत्र अतिरिक्त सूचनाओं में अपलोड कर लिया गया है।
11- Trees mention is 197 in tree list uploaded as additional information in para-13, however mention 26 at 4(ii) in Form A. part II. Please rectify.	यह बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोoनिoविo, अल्मोड़ा।